Most Immediate

No.7/23/2020-T&R
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Power / Vidyut Mantralaya
(T&R Division)

2nd Floor, F-Wing, Nirman Bhawan,
New Delhi, Dated the 24th August, 2020

To

1. Chairperson, Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi.
2. Secretary (Power/Electricity), all State Governments & Union Territory Administration as per mailing list.
3. Chairman of all State Power Utilities as per mailing list.
4. CMDs of all Power Utilities under the Ministry of Power as per mailing list.
5. Directors of IITs, NITs as per mailing list.
6. Chairman, BBMB/DVC
7. DG, NPTI/DG, BEE/DG, CPRI
8. Secretary, CERC.

Sub: Filling up of the post of Director General, National Power Training Institute (NPTI), Faridabad, Haryana (Pay Scale 67000-79000 with annual increment @ 3%) (pre-revised) (Rs.182200-Rs.224100/-, Level – 15 in the Pay Matrix as per CCS (RP) Rules, 2016) on deputation basis - reg.

Madam / Sir,

I am directed to say that the post of Director General, NPTI in the pay scale of Rs.67,000-79,000 with annual increment @ of 3% (pre-revised) (Rs.182200-Rs.224100/-, Level – 15 in the Pay Matrix as per CCS (RP) Rules, 2016) is vacant since 07.08.2020. The post is to be filled on deputation basis by this Ministry.

2. The details of the conditions of eligibility, terms and conditions etc. for appointment to the post of DG, NPTI are given in Appendix. The vacancy is being advertised in Employment News / Rozgar Samachar and in selected National Dailies separately. The website https://powermin.nic.in/, http://www.npti.gov.in and http://www.persmin.nic.in may be visited for details and the format of the application.

3. It is requested that wide publicity may be given to this vacancy among eligible officers. It is requested that names of eligible and suitable officers who can be spared immediately on selection for appointment as DG, NPTI may be sponsored and their bio- data sent to us in the form as at Annexure-III (Parts A&B) (which may be downloaded from the above mentioned web-sites) along with their complete and up-to-date CR Dossiers, vigilance clearance and no penalty certificate so as to reach the undersigned within 8 weeks from the date of publication of advertisement in the Employment News. Applications received after the stipulated date or/and without the certificate in Part-B of the application would not be considered.

Encl: As Above.

Yours faithfully,

(NimaiAdhikary)
e-mail: n.adhikari15@nic.in
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 23063452

Copy along with Annexure - II and Annexure - III (Parts A&B) forwarded to:

1. Technical Director, NIC, DOP&T, Room No. 11/A, North Block, New Delhi,
2. Technical Director, NIC, Ministry of Power,
3. Technical Director, NPTI, with the request to upload the advertisement on their respective website.

ANNEXURE-II

Ministry of Power's Advertisement No.7/23/2020-T&R

NATIONAL POWER TRAINING INSTITUTE (NPTI)

(An Autonomous Registered Society under Ministry of Power)

Applications are invited in the prescribed format for filling up the post of Director General, NPTI, on deputation basis. The post carries a scale of pay of Rs. 67000-79000/- with annual increment @ 3% (pre-revised) [Rs.182200-Rs.224100/-, Level – 15 in the Pay Matrix as per CCS (RP) Rules, 2016] with usual allowances as per Central Government rules.

NPTI is an Apex body at the National Level for development of human resources for the power & energy sectors. With its HQ. at Faridabad, NPTI operates on an all India basis through its Regional Institutes located at Neyveli (Tamil Nadu), Durgapur (West Bengal), Badarpur (New Delhi), Nagpur (Maharashtra), Guhawati (Assam), Nangal (Punjab), Alappuzha (Kerala) and Shivpuri (Madhya Pradesh) & specialized Centres viz. Power Systems Training Institute (PSTI) & Hot line Training Centre (HLTC) at Bangalore, a Centre for Advanced Management and Power Studies (CAMPS) at Faridabad, Haryana. Several long-term and short-term training programs in the areas of Thermal, Hydro, Transmission & Distribution and Management etc. are being conducted in the various Institutes of NPTI. Besides conducting refresher training for working engineers/supervisors NPTI conducts a large number of job-oriented training programs to inculcate professional skills in the freshly pass out Graduates and Diploma holders etc.

The affairs of NPTI are managed, administered, directed and controlled by the Governing Council in accordance with its Memorandum of Association, Rules & Regulations and Bye-laws. The president of the Society and the Chairman of the Governing Council is Secretary, Ministry of Power. Director General is the Chief Executive Officer of the Organisation. The Director General has powers similar to the powers of a Head of the Department under the Govt. of India, exercising his powers under the direction, and control of the Chairman of the Governing Council of NPTI.

Conditions of Eligibility:

Persons who:

I) have at least 17 (seventeen) years experience and have shown capacity in :

- i) design , construction, operation and maintenance of generating stations;
- ii) transmission and supply of electricity;
- iii) applied research in the field of electricity;
- iv) applied economics; or
- v) industrial, commercial and financial matters and;

II) have held

- a) the post of Chief Engineer or equivalent or a higher grade on a regular basis for a period of at least three years under the Central Govt. or a State Govt.

OR

- b) any post equivalent to that of a post mentioned in clause (a) above for a period of at least three years under a State Electricity Board or a Semi Govt.

Organization or a Public Sector Undertaking or a University or an Indian Institute of Technology.

(Note: The conditions of eligibility above are the minimum and mere possession of the same would not entitle any candidate for being short-listed. Government reserves the right to reject, without assigning any reason thereof, any or all the applications received).

Period of deputation :

The period of deputation shall normally be for a period not exceeding five years from the date of appointment as Director General.

The term of deputation shall be further restricted to the date on which the officer attains the age of superannuation in his parent organization, unless he is granted extension of service or is re-employed beyond the age of superannuation.

Where the prescribed term of office of Director General expires before he attains the age of superannuation, the Govt. may extend the term of his office for a further period not exceeding the date of his superannuation.

Age Limit :

The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Job Description :

The post of Director General, NPTI is an important assignment in the field of training in the Power Sector. A competent officer with requisite background, knowledge and experience is required to fill up the vacancy to give impetus to the training activities which would increase due to the massive power development programme. It will be the responsibility of Director General to –

a) initiate, coordinate and execute training programmes in the power sector;
b) assess the total training needs of the power sector in the country and set up additional training facilities, it required;
c) suitably organize the training of Engineers and operators on modern lines ;
d) update the curriculum and training methodology to ensure that the latest technical developments in the fields of power plant engineering and associated systems as well as modern scientific management practices are incorporated in the training programmes;
e) process the proposals for progress and expansion of the activities of the Society including its Institutions;
f) administer the affairs of the Society under the directions and guidance of Governing Council; and
g) to exercise general supervision over various other activities under the Society.

NOTE :

(i) Qualifications and experience prescribed above are minimum and mere possession of the same does not entitle any candidate to be called for interview. In case the number of applications is large, the candidates for interview may be restricted to a reasonable limit, on the basis of qualifications and experiences.

Annex-III

(Parts A & B)

Part- A

Application for appointment to the post of Director General, National Power Training Institute, Faridabad (Haryana) (Pay scale: Rs. 67,000-79,000) (pre-revised) (Rs.182200-Rs.224100/-, Level – 15 in the Pay Matrix as per CCS (RP) Rules, 2016) on deputation basis

1. (a) Name:

   (b) Nationality:

2. Age as on the closing date of receipt of applications:

3. Details of any organized service/cadre to which you belong including year of allotment:

4. Present designation:

5. Office/Department:

6. Scale of Pay:

7. Age & Date of Birth:

8. Whether belongs to SC/ST:

9. Educational Qualifications:

   Academic

   Professional

10. Details of posts held from time to time:

S.No.	Post held & Scale of Pay	Office	Period From To	Nature of Job

11. Details of training undergone in India and abroad:

Name of Training Program	Institute where training was received	Period of Training	Nature of Training	Achievements

12. List of Publications/ academic honours received:

13. Details of Power Sector Experience:

Field	Place	No. of Years	Special Contributions made/Achievements
Design			Reduction of T&D losses
Construction			
Operation			
Maintenance			Higher Load Factor
Transmission & Distribution			
Applied Research field of Electricity			
Applied Economics Industrial, Commercial and Financial matters			

14. Details of present emoluments:

Basic Pay
Grade Pay
Dearness Pay/Allowance
Spl. Pay, if any
H.R.A.
CCA
Any other Allowance
Total

15. Full Address (Office/Residence):
(with Telephone/Mobile/Fax/E-mail)

16. If selected, minimum time required to join the post:

17. Any other information:

I hereby declare that all the information given/statements made by me in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed. In the event of any information being found false or incorrect or is not in conformity with the eligibility criteria mentioned in the advertisement at any point of time my candidature/appointment may be cancelled/terminated without any notice and/or I shall be liable for any other action under the extant rules

Signature_______________

Date:
Place:

Note: Copies of Testimonials in support of age, qualifications, experience etc may be furnished, wherever necessary.

Annex-III

(Parts A&B)

Part-B

Name of the Organisation:

It is certified that:

(1) The date of birth, qualification, experience and other details given by Shri/Smt./Km.____ in Part 'A' of the Application for the post of Director General, National Power Training Institute has been verified and found to be correct.

(2) The integrity of Shri/Smt./Km.________________ is beyond doubt.

(3) No vigilance or disciplinary proceedings is either pending or contemplated against the officer concerned.

(4) The Ministry of Power will be informed at the earliest, if any vigilance or disciplinary proceeding is initiated or contemplated against the officer after his/her application is forwarded.

(5) Attested copies of ACR dossier of the officer for the year 2013-14 onwards are enclosed herewith.

(6) It is certified that Shri/Smt./Km. ____________would be allowed to retain lien in his/her regular post of ____________during the period of his appointment as Director General, NPTI on deputation basis.

(7) It is certified that no penalty (major/minor) have been imposed on Shri/Smt./Km._________ in the last ten (10) years'.

OR

A statement of major/minor penalty _________ (specify the penalty) imposed on Shri/Smt./Km.__________ in last ten (10) years' is enclosed

Organisation Ref. No.____________

Date___________________

Signature of the authorized Officer
(Name & Designation)
Seal of the Officer

Place:

Full Address of the authorized Officer
(With telephone/Fax No.)

अनुबंध-II

विद्युत मंत्रालय का विज्ञापन संख्या 7/23/2020–टीएंडआर

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)

(विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी)

महानिदेशक, एनपीटीआई के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारुप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद का वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भत्तों सहित 3% की दर पर वार्षिक वृद्धि केसाथ 67000-79000/- रुपए (पूर्व संशोधित) [सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के अनुसार पे-मैट्रिक्स के लेवेल-15 में 182200-224100/- रुपये] है।

एनपीटीआई विद्युत और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष निकाय है। फरीदाबाद में इसका मुख्यालय होने के साथ ही एनपीटीआई नेवैली (तमिलनाडु), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बदरपुर (नई दिल्ली), नागपुर (महाराष्ट्र), गुवाहाटी (असम), नांगल (पंजाब), अलपुझा (केरल) और शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में स्थित अपने क्षेत्रीय संस्थानों तथा विशिष्ट केंद्रों जैसे पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (पीएसटीआई) और हॉट लाइन ट्रेनिंग सेंटर (एचएलटीसी), बैंग्लोर, सेंटर फॉर एडवांस्ड मैनेजमेंट एंड पावर स्टडीज (कैम्पस), फरीदाबाद, हरियाणा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन करता है। एनपीटीआई के विभिन्न संस्थानों में थर्मल, हाइड्रो, पारेषण एवं वितरण तथा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में कई लघु अवधि तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकारी अभियंताओं / पर्यवेक्षकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित करने के अतिरिक्त, एनपीटीआई नए उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों और डिप्लोमाधारकों आदि में व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए कई रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

एनपीटीआई के कार्यों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन एवं नियंत्रण इसके संस्था के अंतर्नियम, नियमों एवं विनियमों तथा उप-नियमों के अनुसार शासी परिषद द्वारा किया जाता है। सोसायटी का अध्यक्ष तथा शासी परिषद का अध्यक्ष विद्युत मंत्रालय का सचिव होता है। महानिदेशक इस संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। महानिदेशक के पास एनपीटीआई की शासी परिषद के अध्यक्ष के निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के अंतर्गत विभागाध्यक्ष की शक्तियों के बराबर शक्तियां होती हैं।

पात्रता की शर्तें:

ऐसा व्यक्ति जिसे:

I) कम से कम 17 (सत्रह) वर्ष का अनुभव हो और उसने निम्नलिखित में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया होः

i) उत्पादन स्टेशनों की डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण;

ii) विद्युत का पारेषण एवं आपूर्ति;

iii) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान;

iv) अनुप्रयुक्त अर्थव्यवस्था; अथवा

v) औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय मामले और;

II) ऐसा व्यक्ति जिसने निम्नलिखित पदधारित किया हो

क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए नियमित आधार पर मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष अथवा उच्च ग्रेड का पद।

अथवा

ख) राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्दधसरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित पद के समकक्ष कोई पद ।

(टिप्पणीः पात्रता की उपरोक्त शर्तें न्यूनतम हैं और केवल इन पात्रताओं के होने मात्र से कोई अभ्यर्थी लघुसूची में शामिल किए जाने का हकदार नहीं होगा। सरकार के पास, प्राप्त होने वाले किसी अथवा सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।)

प्रतिनियुक्ति की अवधिः

प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख से पांच वर्षों से अधिक की नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति की अवधि उस तिथि तक सीमित होगी जिस पर अधिकारी अपने मूल संगठन में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करेगा बशर्ते कि उसे सेवा विस्तार न दिया जाए अथवा अधिवर्षिता की आयु के बाद पुनः रोजगार प्रदान न किया जाए।

यदि महानिदेशक के कार्यालय की निर्धारित अवधि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने से पूर्व ही समाप्त हो जाती है तो सरकार उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए उसके कार्य की अवधि को बढ़ा सकती है।

आयु सीमाः

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कार्य विवरणः

महानिदेशक, एनपीटीआई का पद विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व वाला पद होता है। अपेक्षित पृष्ठभूमि, जानकारी तथा अनुभव रखने वाले सक्षम अधिकारी से प्रशिक्षण क्रियाकलापों

पर बल देने के लिए इस रिक्ति को भरे जाने की अपेक्षा की जाती है जिसमें व्यापक विद्युत विकास कार्यक्रम के कारण वृद्धि होगी। महानिदेशक का उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगाः

क) विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करना, समन्वय करना एवं निष्पादन करना;
ख) देश में विद्युत क्षेत्र की कुल प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करना;
ग) आधुनिक लाइनों पर अभियंताओं और प्रचालनों के प्रशिक्षकों को उपयुक्त रूप से संगठित करना;
घ) विद्युत संयंत्र अभियांत्रिकी तथा सम्बद्ध प्रणालियों के क्षेत्रों तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया को अद्यतन बनाना;
ङ) सोसायटी एवं उसके संस्थानों की गतिविधियों की प्रगति एवं विस्तार के लिए प्रस्ताव रखना;
च) शासी परिषद के निदेशों एवं दिशा-निर्देश के अंतर्गत सोसायटी के कार्यों का नियंत्रित करना; और
छ) सोसायटी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न अन्य गतिविधियों का सामान्य निरीक्षण करना।

टिप्पणीः

(i) ऊपर निर्धारित पात्रताएं एवं अनुभव न्यूनतम हैं और केवल इनके होने से कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। यदि आवेदनों की संख्या अधिक हो तो साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को योग्यताएं और अनुभव के आधार पर उचित सीमा तक सीमित किया जा सकता है।

(ii) सरकार के पास प्राप्त होने वाले किसी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृति करने का अधिकार होगा।

(iii) वेतन निर्धारणः एनपीटीआई केंद्र सरकार में प्रचलित वेतन एवं भत्तों (व्यय संबंधी भत्ते सहित) का अनुसरण करती है और वेतन तद्नुसार निर्धारित किया जाएगा।

(iv) भविष्य निधि, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसी सेवा की अन्य शर्तें समय-समय पर एनपीटीआई द्वारा लागू विभिन्न संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी।

आवासीय सुविधाः

आवासीय सुविधा एनपीटीआई सेक्टर-33, फरीदाबाद में उपलब्ध है और निर्धारित लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध (यदि अपेक्षित हो) कराई जाएगी।

आवेदन अनुबंध-III में दिए गए निर्धारित प्रारुप (भाग-क और ख) में दिए जाने अपेक्षित है।

निर्धारित प्रारुपमें सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन रोजगार समाचार में विज्ञापन के **प्रकाशन की तिथि से 8 सप्ताह के अंदर अवर सचिव, टीएंडआर अनुभाग, विद्युत मंत्रालय, 'एफ' विंग, द्वितीय तल, गेट संख्या-2, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011** के पास पहुँच जाने चाहिए। केंद्र / राज्य सरकारों / विद्युत बोर्डों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों / वैधानिक / अर्धसरकारी या स्वायत संगठनों आदि में कार्यरत अभ्यर्थी **सम्यक रूप से पूरे किए गए प्रारुप के भाग (ख) के साथ उचित माध्यम** से अपने आवेदन भेजें। अग्रिम प्रतिलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों अथवा निर्धारित तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचार करने पर आवेदक अपात्रता के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुबंध-III
(भाग क एवं ख)

भाग - क

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद (हरियाणा) प्रतिनियुक्ति आधार पर महानिदेशक (वेतनमान : 67,000-79,000/-) (पूर्व संशोधित) (सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के अनुसार पे-मैट्रिक्स के लेवेल-15 में 182200-224100/- रुपये) **के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन**

1. (क) नाम

   (ख) नागरिकता
2. आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को आयु
3. अगर किसी संगठित सेवा/संवर्ग के हो तो

   आबंटन वर्ष सहित विवरण
4. वर्तमान पदनाम
5. कार्यालय/विभाग
6. वेतनमान
7. आयु एवं जन्मतिथि
8. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है
9. शैक्षिक अर्हताएं :

   अकादमिक :

   व्यवसायिक :
10. समय-समय पर धारित पदों का विवरण :

क्रम सं.	धारित पद एवं वेतनमान	कार्यालय	कब से कब तक	कार्य की प्रकृति

11. भारत एवं विदेश में प्राप्त प्रशिक्षण का ब्यौरा

प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे	संस्थान जहां से प्रशिक्षण लिया गया	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की प्रकृति	उपलब्धियाँ

12. प्रकाशनों/प्राप्त अकादमिक सम्मानों की सूची

13. विद्युत क्षेत्र में अनुभव का ब्यौरा

क्षेत्र	स्थान	वर्ष	किया गया विशेष योगदान/उपलब्धियां
डिजाइन			टीएंडडी हानियों में कमी
निर्माण			
प्रचालन			
अनुरक्षण			
पारेषण एवं वितरण			
विद्युत का अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्षेत्र			
अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय मामले			उच्चतर भार कारक

14. वर्तमान भत्तों का ब्यौरा

मूल वेतन
ग्रेड वेतन
मंहगाई वेतन/भत्ता
विशेष वेतन, यदि कोई हो
एचआरए
सीसीए
अन्य भत्ते
कुल

15. पूरा पता (कार्यालय/निवास) :
(टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/ई-मेल सहित)

16. यदि चुने गए तो कार्यभार ग्रहण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय

17. कोई अन्य सूचना :

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं/विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सत्य, पूर्ण तथा सही हैं और कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा नियुक्ति के बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत/असत्य है या विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो बिना कोई कारण बताए मेरी पात्रता/उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त अथवा समाप्त की जा सकती है तथा/अथवा प्रचलित नियमों/कानूनों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर ....

दिनांक :
स्थान :

टिप्पणी : जहां भी आवश्यक हो, आयु, अर्हताओं, अनुभव इत्यादि के साक्ष्य में प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।